न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या (पुराने 35/2012) नये 88/2019

राजस्थान सरकार जरिये राकेश शर्मा प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर.। ....***प्रार्थी***

बनाम

1. जनरल मैनेजर, अपना बाजार सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. पडाव, अजमेर
2. श्री कैलाश नाथ भाटी, गैस प्रभारी, अपना बाजार सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार, लि. अजमेर।
3. श्री प्रेमचन्द सोगरा पुत्र श्री शिवकरण सोगरा निवासी कृष्णा कॉलोनी चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर। ....***अप्रार्थीगण***

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;. 1. श्री नीरज जैन प्रर्वतन अधिकारी — पैरोकार सरकार
2. श्री एस.एन. देवडा, जे.एस.राणा — अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 31.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी एवं अवैध रिफलिंग किये जाने की सूचना की पुष्टि हेतु दिनांक 17.05.2012 को अपना बाजार के गैस कैम्प पुराने सेटेलाईट अस्पताल के पास गॉधी भवन, आर्दशनगर, अजमेर पर काल्पनिक ग्राहक के रूप में श्री अमित शर्मा प्रर्वतन निरीक्षक व सुभाष चन्द जैन एवं श्री इन्दर चन्द जैन को 500/–रूपये का नोट कमांक–6HQ052421 तथा दो नोट 100/–रूपये के कमशः 8RH542562, 8RV850102 नम्बर के लघु हस्ताक्षर कर तथा एक आई.ओ.सी. का खाली गैस सिलेण्डर देकर भेजा गया। दोनो काल्पनिक ग्राहक कैम्प पर पहूँचकर गैस बॉय से वार्ता कर 650/– रूपये में एक घरेलू गैस सिलेण्डर दिये जाने की सूचना पर जिला रसद अधिकारी मय प्रार्थी प्रर्वतन अधिकारी कैम्प स्थल पर पहूँचकर जानकारी पर प्रकाश में आया कि अप्रार्थी सं0 03 को अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा ठेके पर रखा गया है जो करीब 10 वर्ष से गैस सिलेण्डर सप्लाई का कार्य कर रहा है। अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर की निर्धारित दर रूपये 378/– है जिसे 650/– रूपये में देना तथा इस हेतु 700/– रूपये प्राप्त कर 50/– रूपये वापिस लौटाना स्वीकार किया। प्राप्त 700/– रूपये वापस मांगने पर एक 500/– रूपय एवं दो 100/– 100/– रूपये के उसी कमांक एवं लघु हस्ताक्षर शुदा नोट पाये गये। तलाशी में अप्रार्थी संख्या 3 के पास एक लोहे की बांसुरी जो भरे हुए गैस सिलेण्डर से खाली सिलेण्डर में गैस भरने के काम में लेना स्वीकार किया। मौके पर पाये गये सभी घरेलू गैस सिलेण्डरों का तौल किया जिसके अनुसार 30 घरेलू गैस सिलेण्डर तथा 02 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर भरे हुए एवं 12 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर कुल 44 नग जिसमें 6 गैस सिलेण्डर की सील टुटी हुई पाई गई तथा 16 घरेलू गैस सिलेण्डर में छूट सीमा से 150 ग्राम से अधिक गैस कम पाई गई इससे जाहिर होता है कि अप्रार्थी द्वारा अवांछित गतिविधि कर गैस सिलेण्डरों से गैस चोरी कर उपभोक्ता को कम वजन की गैस आपूर्ति किया जाना प्रमाणित होता है। सम्पूर्ण जांच में अपना बाजार सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि0 व अप्रार्थी प्रेमचन्द सोगरा का कृत्य

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(3)(a)(b), 4 (2) ए, 5, 6 व 9 (d) की अवेहलना के साथ ही राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 19 का भी उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर उपलब्ध सभी 44 सिलेण्डरों को पृथक तलपट बनाकर तोला गया एवं फर्द अभिग्रहण बनाकर गैस सिलेण्डर व बासूंरी को कब्जेराज लिया जाकर मैसर्स हरेन्द्र मेमोरियल गैस कम्पनी के मैनेजर श्री सुब्रतो महापात्र पुत्र श्री धनजंय महापात्र अजमेर आई.ओ.सी.को सुपुर्दगी में दिए गये।

विवरण सिलेण्डर :–

क0सं0	नाम कम्पनी	सिलेण्डर सं0	G.T.(Kg	T.W. (Kg	N.W. (Kg	class
1.	आई.ओ.सी.	118719 घरेलू	29.9	15.7	14.2	बिना सील
2.	आई.ओ.सी..	359671 घरेलू	27.5	15.8	11.7	बिना सील
3.	आई.ओ.सी.	130680 घरेलू	29.9	15.7	14.2	बिना सील
4.	आई.ओ.सी.	310965 घरेलू	30.0	15.9	14.1	बिना सील
5.	आई.ओ.सी.	944993 घरेलू	29.8	16.0	13.8	बिना सील
6.	आई.ओ.सी.	579487 घरेलू	29.0	15.4	13.6	बिना सील
7.	आई.ओ.सी.	228205 घरेलू	30.0	15.8	14.2	–
8.	आई.ओ.सी.	912327 घरेलू	29.0	15.5	13.5	–
9.	आई.ओ.सी..	128720 घरेलू	30.0	15.9	14.1	–
10.	आई.ओ.सी.	459508 घरेलू	29.5	15.6	13.9	–
11	आई.ओ.सी.	अपठित घरेलू	30.0	16.4	13.6	व्यवसायिक सिलेण्डर
12	आई.ओ.सी.	132374 घरेलू	29.5	16.0	13.5	व्यवसायिक सिलेण्डर
13	आई.ओ.सी.	177252 घरेलू	29.7	15.7	14.0	–
14	आई.ओ.सी.	191394 घरेलू	30.2	16.0	14.2	–
15	आई.ओ.सी.	624740 घरेलू	29.6	15.6	14.0	–
16	आई.ओ.सी..	858815 घरेलू	29.0	15.9	13.1	–
17	आई.ओ.सी.	476157 घरेलू	29.5	15.7	13.8	–
18	आई.ओ.सी.	80187 घरेलू	30.0	15.8	14.2	–
19	आई.ओ.सी.	735076 घरेलू	29.2	15.6	13.6	–
20	आई.ओ.सी.	6875 घरेलू	29.8	15.8	14.0	–
21	आई.ओ.सी.	21230 घरेलू	31.0	17.2	13.8	–
22	आई.ओ.सी..	418073 घरेलू	29.8	15.8	14.0	–
23	आई.ओ.सी.	546620 घरेलू	29.2	15.4	13.8	–
24	आई.ओ.सी.	131449 घरेलू	29.2	15.9	13.3	–
25	आई.ओ.सी.	452831 घरेलू	29.2	15.4	13.8	–
26	आई.ओ.सी.	445728 घरेलू	30.0	15.5	14.5	–
27	आई.ओ.सी.	13206 घरेलू	30.2	16.5	13.7	–
28	आई.ओ.सी..	414009 घरेलू	29.5	15.8	13.7	–
29	आई.ओ.सी.	402833 घरेलू	29.6	15.6	14.0	–
30	आई.ओ.सी.	39815 घरेलू	29.2	15.2	14.0	–

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

31	आई.ओ.सी.	अपठित घरेलू	38.2	19.1	19.1	—
32	आई.ओ.सी.	0003517 घरेलू	38.2	19.3	18.9	—
33	आई.ओ.सी.	590784 घरेलू	15.7	15.7	—	—
34	आई.ओ.सी.	138734 घरेलू	15.4	15.4	—	—
35	आई.ओ.सी..	600859 घरेलू	15.4	15.4	—	—
36	आई.ओ.सी.	438584 घरेलू	15.8	15.8	—	—
37	आई.ओ.सी.	624625 घरेलू	15.9	15.9	—	—
38	आई.ओ.सी.	983476 घरेलू	16.0	16.0	—	—
39	आई.ओ.सी.	479096 घरेलू	17.4	17.4	—	—
40	आई.ओ.सी.	115861 घरेलू	15.8	15.8	—	—
41	आई.ओ.सी.	758263 घरेलू	16.3	16.3	—	—
42	आई.ओ.सी..	459777 घरेलू	16.0	16.0	—	—
43	आई.ओ.सी.	882356 घरेलू	15.6	15.6	—	—
44	आई.ओ.सी.	122736 घरेलू	16.0	16.0	—	—

ब्र
स
ल

उपरोक्त कब्जेराज ली गई सामग्री 42 घरेलू गैस सिलेण्डर, 2 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, एक बांसूरी को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के लिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई आदेश दिनांक 2.2.2018 से स्वीकार किया जाकर कब्जेराज ली गई सामग्री 42 घरेलू गैस सिलेण्डर, 2 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व एक बांसूरी को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा मान0 न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर के यहॉ अपील पेश की गई। जो निर्णय दिनांक 8.11.2019 से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 02.02.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे प्रकरण में दोनो पक्षों को सुनकर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

माननीय सेशन न्यायाधीश, अजमेर से न्यायालय हाजा की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध गैस सिलेण्डरों की कालाबजारी एवं अवैध रिफलिंग किये जाने की प्राप्त शिकायत की जॉच कार्यवाही दौरान अप्रार्थी सं0 03 द्वारा जिला रसद अधिकारी द्वारा भेजे गये काल्पनिक ग्राहक (प्रवर्तन निरीक्षक) को एक घरेलू गैस सिलेण्डर निर्धारित दर 378/–रूपये के स्थान पर 650/– रूपये में दिया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा चिन्हित 500/– एवं 100/– –100/– के नोट अप्रार्थी संख्या 03 से बरामद किये गये। तलाशी में अप्रार्थी संख्या 3 के पास से एक लोहे की बांसुरी बरामद की गई जो भरे हुए गैस सिलेण्डर से खाली सिलेण्डर में गैस भरने के काम में लेना अप्रार्थी सं0 03 द्वारा स्वीकार किया। घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी एवं अवैध रिफलिंग किये जाने की पुष्टि होने पर मौके पर उपलब्ध सभी 44 सिलेण्डरों को पृथक तलपट बनाकर तोला गया एवं फर्द अभिग्रहण बनाकर गैस सिलेण्डर व बासूंरी को कब्जेराज लिया जाकर मैसर्स हरेन्द्र मेमोरियल गैस कम्पनी, मैनेजर श्री सुब्रतो महापात्र पुत्र श्री धनजंय महापात्र अजमेर आई.ओ.सी. के को सुपुर्दगी में दिए गये है। पूर्व में भी दिनांक 15.4.2011 को अप्रार्थी, अपना बाजार गैस एजेन्सी के श्रृंगार चंवरी कैम्प पर भी तत्कालीन जिला रसद अधिकारी द्वारा 550/– रूपये में ब्लैक में घरेलू गैस सिलेण्डर बेचान करना पाया गया जिसका विभागीय प्रकरण

न्यायालय जिला कलक्टर * अजमेर *

[signature]
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

संख्या 87/2011 तथा 6 ए के तहत प्रकरण संख्या 92/11 न्यायालय हाजा (जिला कलक्टर, अजमेर) में दर्ज करवाया गया था। जो न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 6.5.2015 से स्वीकार किया जाकर जब्त सामग्री राजसात किये जाने के आदेश पारित किये गये। उपरोक्त जांच तथ्यों के मध्यनजर अप्रार्थीगण का कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(3)(a) (b), 4 (2) ए, 5, 6 व 9 (d) की अवेहलना के साथ ही राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 19 का भी उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः उपरोक्त कब्जेराज ली गई सामग्री 42 घरेलू गैस सिलेण्डर, 2 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, एक बांसूरी को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब में उपस्थित अभिभाषक आप्रार्थी ने कथन किया कि गैस बॉय द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक में घरेलू गैस सिलेण्डर को विक्रय किये जाने के कथनों से अप्रार्थी सं0 01, 02 का कोई सरोकार नहीं है। भण्डार द्वारा गैस सप्लाई हेतु गैस बॉय को ठेकानामा लिखवाया जाकर ठेके पर रखा जाता है। ठेका शर्तो का उल्लघन होने पर भण्डार द्वारा ठेका निरस्त कर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है। एक घरेलू गैस सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि में दिये जाने के तथ्य प्रार्थी द्वारा व्यक्त किये गये है, जबकि बिना किसी कारण के पूरे 44 सिलेण्डर को राजसात किया जाना गैर कानूनी है। जब्त शुदा सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 02 अजमेर सहकारी उपभोक्ता भण्डार के कब्जाधीन सम्पति है। अप्रार्थी संख्या 02 आई.ओ.सी. का अधिकृत वितरक है। भण्डार द्वारा उपभोक्ताओं को सिलेण्डर बिल बाउचर के साथ पूरा वजन तोलकर दिया जाता है किसी सिलेण्डर में गैस यदि कम पाई जाती है तो उसे ग्राहक को नहीं दिया जाता है। पुनः आई.ओ.सी को भेजा जाता है। अप्रार्थी संख्या 02 एक सहकारी संस्था है जिसके द्वारा सन् 1969 से गैस वितरण का कार्य किया जा रहा है जो बिना किसी शिकायत के हमेशा जनहित में गैस सप्लाई का कार्य करती आ रही है। आई ओ. सी बॉटलिंग प्लान्ट से प्रतिदिन करीबन 612 सिलेण्डर सप्लाई हेतु दो ट्रको के माध्यम से आते है। पलान्ट से प्रति ट्रक केवल 10 प्रतिशत सिलेण्डर ही तौल कर दिये जाते है। भण्डार द्वारा नियमानुसार वितरण हेतु सिलेण्डर तोलकर मय ग्राहको के वाउचर अप्रार्थी संख्या 01 को सप्लाई गाडी में भरकर दिये गये उसी गाडी से ही प्रार्थी द्वारा गैर कानूनी रूप से सिलेण्डर जब्त किये गये है। सिलेण्डरों में भरी हुई गैस भण्डार की है तथा सिलेण्डर आईओसी कम्पनी के है। मौके पर मात्र छः सिलेण्डर की ही सील टूटी हुई पाई गई सभी 44 सिलेण्डर राजसात किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः भण्डार को भारी आर्थिक हानि होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए जब्त सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 02 को लौटाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर माननीय सेशन न्यायाधीश, अजमेर के निर्णय दिनांक 8.11.2019 के प्रकाश में मनन किया व रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के विरूद्ध घरेलू गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी एवं अवैध रिफलिंग किये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच दौरान अप्रार्थी संख्या तीन द्वारा जिला रसद अधिकारी द्वारा भेजे गये काल्पनिक ग्राहक (प्रवर्तन निरीक्षक) को एक घरेलू गैस सिलेण्डर निर्धारित दर 378/–रूपये के स्थान पर 650/–रूपये में दिया गया तथा दिये गये चिन्हित नोट वरवक्त जांच मौके से जिला रसद अधिकारी द्वारा अप्रार्थी सं0 03 से बरामद किये गये है साथ ही तलाशी दौरान अप्रार्थी से एक बांसूरी जो कि भरे हुए गैस सिलेण्डर से गैस, खाली गैस सिलेण्डर में स्थानान्तरित करने के काम आती है, बरामद की गई है। अप्रार्थी सं0 03 द्वारा पूछताछ में एक गैस सिलेण्डर को 650/– रूपये में देना तथा बरामद बांसूरी (एक यंत्र)

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

द्वारा एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस स्थानान्तरित किया जाना स्वीकार किया गया है। इस बाबत अप्रार्थी संख्या 1, 2 का मुख्यतः कथन है कि "अप्रार्थी संख्या 03 को गैस वितरण का ठेका, शर्तो के साथ ठेकानामा लिखवाकर दिया गया था, ठेका शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर उसके विरूद्ध कडी कार्यवाही. करते हुए ठेका निरस्त किया जा चुका है। जब्त शुदा सभी सिलेण्डर राजसात किये जाने से अप्रार्थी सं0 3 प्रेमचन्द को कोई नुकसान कारित नहीं होकर अप्रार्थी एजेन्सी को ही भारी आर्थिक हानि कारित होगी।" जबकि प्रार्थी/पैरोकार सरकार का कहना है कि पूर्व में भी दिनांक 15.4.2011 को अपना बाजार गैस एजेन्सी के श्रृंगार चंवरी कैम्प पर भी तत्कालीन जिला रसद अधिकारी द्वारा 550/–रूपये में ब्लैक में घरेलू गैस सिलेण्डर बेचान करना पाया गया जिसका विभागीय प्रकरण संख्या 87/2011 तथा 6 ए के तहत प्रकरण संख्या 92/11 न्यायालय हाजा (जिला कलक्टर, अजमेर) में दर्ज करवाया गया जो न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 6.5.2015 से स्वीकार किया जाकर जब्त सामग्री राजसात किये जाने के आदेश पारित किये गये। चूंकि जांच दौरान मौके पर 30 घरेलू तथा दो व्यवसायिक गैस सिलेण्डर भरे हुए तथा 12 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये जो उपभोक्ताओं को सप्लाई से प्राप्त होना जाहिर किया गया, इस प्रकार कुल 44 सिलेण्डर में से 16 घरेलू गैस सिलेण्डर में गैस कम तथा 6 सिलेण्डर की सील टूटी हुई पाई गई। घरेलू एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का अवांछित गतिविधि कर ब्लैक में विक्रय एवं अवैध रिफलिंग करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन होने के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध भी है। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर उपरोक्त कब्जेराज ली गई सामग्री में से 16 सिलेण्डर जिनमें गैस कंम पाई गई तथा 6 सिलेण्डर जिनकी सील टुटी हुई पाई गई कुल 22 गैस सिलेण्डर व एक बांसूरी को आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाता है। उक्त सिलेण्डरों को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावे। अप्रार्थी गैस एजेन्सी के कैम्प पर ब्लैक में सिलेण्डर विक्रय एवं सिलेण्डरो से गैस चोरी होने जैसे कृत्य कारित हुआ है। जिसकी जिम्मेवारी पूर्णतया अप्रार्थी संख्या 1,2 की है, पूर्व में भी उनके एजेन्सी के कैम्प पर घरेलू गैस सिलेण्डर ब्लैक में विक्रय किया जाना पाया गया है। अप्रार्थी गैस एजेन्सी को उक्त कृत्य बाबत कतई दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी संख्या 01, 02, आईन्दा उक्त कृत्य की पुनरावृति नहीं होने बाबत लिखित अन्डरटैंकिंग मय तस्दीक शुदा शपथ पत्र, जिला रसद अधिकारी, अजमेर के समक्ष आदेश जारी होने के तीन योम में प्रस्तुत करें। जिला रसद अधिकारी आदेश की पालना सुनिश्चित कर नियमानुसार शेष सिलेण्डर अप्रार्थी गैस एजेन्सी को लोटाने की कार्यवाही करें।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 31.12.2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner